(25)

~~40~~

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4077–पीबीआर/2015 विरूद्व आदेश दिनांक 22–9–2015 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 183/अपील/2013–14.

....

नानालाल पिता चम्पालाल राठौड़
निवासी पेटलावद जिला झाबुआ म0प्र0

.... आवेदक

विरूद्व

1–भेरूलाल पिता चम्पालाल राठौड़
2–रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल राठौड़
3–धुलजी पिता मांगीलाल राठौड़
4–कैलाश पिता मांगीलाल राठौड़
5–प्रकश पिता मांगीलाल राठौड़
6–रतनलाल पिता मांगीलाल राठौड़
समस्त निवासीगण पेटलावद जिला झाबुआ

.... अनावेदकगण

....

आवेदक स्वयं

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1

....

:: आदेश ::
(आज दिनांक 7/6/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2015 के विरूद्व इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार पेटलावद जिला झाबुआ के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उभयपक्ष के संयुक्त स्वामित्व की भूमि ग्राम खेरिया स्थित सर्वे कमांक 335 एवं 846 कुल रकबा 3.020 हेक्टेयर है । उक्त भूमि पर उभयपक्ष अनेक वर्षो से आपसी बटवारा कर कृषि कार्य कर रहे हैं, अतः कब्जे अनुसार प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा किया जाये तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 4–1–2013 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19–2–2014 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 22–9–2015 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसील न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाकर द्वितीय अपील भी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसीलदार के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर इश्तिहार का प्रकाशन किया गया । इश्तिहार प्रकाशन उपरांत अनावेदक की ओर से बटवारे में आपत्ति प्रस्तुत की गई । तदोपरांत समाज के वरिष्ठ लोगों के समक्ष उभयपक्ष के मध्य समझौता होने और समझौते अनुसार आपत्ति वापिस लिये जाने से प्रकरण में कोई आपत्ति शेष नहीं रही । तदोपरांत पटवारी द्वारा फर्द बटांन तैयार की गई और अनावेदक कमांक 1 को बटवारे में 0.80 एकड़ भूमि दी गई जिस पर आवेदक द्वारा आपत्ति किये जान पर तहसील न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का समान बटवारा किया जाकर बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं हुई है । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनावेदक कमांक 1

द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई व पक्ष समर्थन का अवसर देते हुये प्रथम अपील निरस्त की गई जो कि विधिसंगत कार्यवाही है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर तहसील न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये गये है कि रमेश, प्रकाश, रतनलाल व राधाकिशन को बटवारे में कृषि भूमि का कोई अंश प्रदान नहीं किया गया है जबकि उभयपक्ष के स्वामित्व में कुल 11 सर्वे नम्बर है जिन पर पक्षकार अपनी सुविधा से पृथक पृथक सर्वे नम्बर पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं ।

(3) अपर आयुक्त द्वारा इस आधार पर आदेश पारित किया गया है कि व्यवहार न्यायालय से वाद का निराकरण नहीं होने तक तहसील द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है, जबकि व्यवहार न्यायालय से प्रकरण का निराकरण के पश्चात् ही तहसील न्यायालय द्वारा बटवारा आदेश पारित किया गया है ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र, साक्ष्य एवं समझौता आवेदन पत्र में पूर्व से प्रश्नाधीन भूमियों का उभयपक्ष के मध्य पारिवारिक बटवारा हो जाने के स्पष्ट कथन एवं स्वीकारोक्ति पर बिना विचार किये आवेदक के स्वत्व के मान से बटवारा किये जाने संबंधी आपत्ति स्वीकार करने में भारतीय साक्ष्य विधान की धारा 115 का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है, क्योंकि इसमें स्टॉपल का सिद्धांत लागू होता है । तर्क के समर्थन में 1988 आरएन 94 व 1994(2) विधि भास्कर 97 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(2) अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र से स्पष्ट हो चुका है कि प्रश्नाधीन भूमियों का पूर्व में पारस्परिक विभाजन होकर उभयपक्ष अपने अपने हिस्से में काबिज है अतः इसके आधार पर आदेश पारित नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । इस संबंध में 1989 आरएन 14 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

(3) तहसीलदार के समक्ष उभयपक्ष के मध्य पूर्व में बटवारा होकर उभयपक्ष अपने अपने हिस्से पर काबिज होना पटवारी द्वारा प्रस्तुत फर्द बटांन से प्रमाणित होने के बावजूद तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आदेश पारित किया गया है । इस संबंध में 1996 आरएन 33 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष प्रचलित बटवारे प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उठाया गया था, परन्तु तहसीलदार द्वारा व्यवहार न्यायालय में स्वत्व के निराकरण हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिये तीन माह का समय नहीं दिया गया है, जबकि संहिता की धारा 178 में स्पष्ट प्रावधान है कि स्वत्व का प्रश्न उत्पन्न पर तहसीलदार व्यवहार वाद प्रस्तुत करने हेतु तीन माह के लिये कार्यवाही स्थगित करेंगे । इसके अतिरिक्त प्रकरण में सहखातेदारों द्वारा उठाई गई आपत्ति का भी विधिवत् निराकरण तहसीलदार द्वारा नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित बटवारा आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है जिसकी पुष्टि करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है, अतः अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार के आदेश निरस्त करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण कमांक 4074–पीबीआर/2015 (भेरूलाल पिता चम्पालाल राठौड विरूद्ध नानालाल पिता चम्पालाल राठौड़ एवं अन्य 5) पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर